[illegible]

(1) FOUNDATTION : - [illegible] PILE FOUNDATION

(2) SUPER STRUCATURE - 1st CLASS BRICK WORK IN CEMENT MOTER [illegible]

(3) FLOORING - .025 TH I. P. S FLOORING OVER [illegible] BRICK OVER ONE LALYER BRIK FLAT SOLING OVER LOCAL SAND FILLING

(4) R.C.C. WORK - SLAB LINTEL, STAIR BEAM [illegible] 1 : 1-1/2 : 3 WITH PROPER MIX FOR CEMENT

(5) TERRACING- 10TH AVERAGE LIME TERRACING OVER [illegible] R.C.C. ROOF SLAB

(6) PLASTER : - .012 TH CEMENT PLASTER ON BOTH SIDE WALL & .006 CEMENT PLASTER ON CELING

(7) DRAIN : - 18 CM WIDE & 30 CM DEEP PUCCA DRAIN ROUND IN THE BUILDING

(8) COLOUR : - AS PER CHOICE

## SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

| TYPE | WIDTH | HEIGHT | SILL LEV. | LIN. LEV. | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 1.07 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | FULLYPANILLEDDOORS |
| D1 | 0.91 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | DO |
| D2 | 0.76 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | DO |
| | | | W I N D O W S | | |
| W | 1.52 | 1.37 | 0.76 | 2.13 | FULLY GLAZED WINDOW |
| W1 | 1.22 | 1.37 | 0.76 | 2.13 | DO |
| W2 | 0.91 | 1.07 | 1.07 | 2.13 | DO |
| W3 | 0.61 | 0.76 | 1.37 | 2.13 | DO |
| W4 | 2.44 | 1.22 | 0.91 | 2.13 | DO |

## WATER TANK CALCULATION.

FOR COMMERCIAL
TOTAL BUILT UP AREA= 1984.19 SQM.
TOTAL CARPET AREA = 1984.19/2 = 992.10 SQM.
ASSUME 10 sqm CARPET AREA= 1 PERSON

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
PATNA REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY (DISSOLVED)
P/Krmtwar/PSN/B+G+6/72 -20.16
Sanction of Plan Accorded under Section 314, 315, 316 & 317 of the Bihar Municipal Act 2007 by the Municipal Commissioner, Patna on......... 21.01.2017
SANCTION OF PLAN ACCORDED

Satyendra 02/02/17
सत्येन्द्र कु० सिंह
उप-निदेशक
शहरी योजना
पटना नगर निगम

30/01/17
सहायक निदेशक
शहरी योजना शाखा
पटना नगर निगम

02/02

Scanned by CamScanner

# पटना नगर निगम

ब्लॉक-सी, द्वितीय तल, मौर्यलोक कम्पलेक्स, डाक बंग्ला रोड, पटना-800001

पत्र संख्या- 1116 /प0न0नि0

प्रेषक,

**उप निदेशक,**
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

**श्री गोपाल प्रसाद,**
पिता-श्री नर्मदेश्वर प्रसाद,
स्वास्तिक भवन, कदमकुआँ, पटना।

पटना, दिनांक-02/02/2017 ई0।

विषयः- **प्लान केस सं०-P/Kumhrar/PCN/B+G+6/72/2016 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0-P/Kumhrar/PCN/B+G+6/72/2016 दिनांक-08.03.2016 के संदर्भ में श्री गोपाल प्रसाद, S/O- श्री नर्मदेश्वर प्रसाद, कदमकुआँ, पटना भवन निमार्ण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित .................... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के ............ सर्वे प्लॉट सं0-785, थाना संख्या-12, थाना-कदमकुआँ, खाता संख्या-173, मौजा कुम्हरार, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 860.40 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 28.46 मी0 से 29.54 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 21.62 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।



Scanned by CamScanner

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का सत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। प्रतिनियुक्त अमीन, श्री नवनीत कुमार, बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार, पटना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में भविष्य में त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये अमीन पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा एवं इसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी तथा स्वीकृत नक्शा स्वतः रद्द समझा जायेगा।

(ट) भू स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

Satyendra

उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,

पटना नगर निगम, पटना।

"बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना"



Scanned by CamScanner